-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 27.05.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ फोटो वायरल करने वाले अभियुक्त को थाना मरका पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों का संग्रहण, निर्माण व बिक्री करने वाले अभियुक्तों पर की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 27.05.2025 को थाना मरका पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ फोटो वायरल करने वाले अभियुक्त को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि इन्स्टाग्राम पर एक फोटो संज्ञान में आया था जिसमें एक युवक अवैध तमंचा लेकर दिखा रहा था। फोटो को संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा विस्तृत जांच की गई जांच के क्रम में युवक की पहचान राजेन्द्र यादव पुत्र लखन यादव निवासी औगासी के रुप में की गई। आज दिनांक 27.05.2025 को थाना मरका पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है।

बरामदगी-

- 01 अदद अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राजेन्द्र यादव पुत्र लखन यादव निवासी औगासी थाना मरका जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग -

- मु0अ0सं0 82/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मरका जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री रोशन लाल सरोज चौकी प्रभारी जोगिनी माता मन्दिर (काजीटोला)
2. कां0 जितेन्द्र पाण्डेय
3. कां0 विजय सिंह